2020/00117

# फर्द अहकाम

**बाबूलाल बनाम मुरलीधर वगैरह**

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा (जयपुर )**

**केस संख्या ...87.../2020 वाद बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा, 53,188 आर टी ए**

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 6.7.2020 | वादीगण की ओर से यह वादपत्र जरिये अभिभाषक श्री दीपक शर्मा एडवोकेट ने पेश किया गया । रिपोर्ट सरिस्ता ली गई । वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 17.7.2020. को पेश हों ।<br><br>उप खण्ड अधिकारी<br>शाहपुरा जिला जयपुर | |
| 17/7/20 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बदलकर तामली अतिरिक्त हेतु दिनांक 22/7/20 को पेश हो।<br><br>सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट<br>शाहपुरा जिला जयपुर | |
| 22/7/20 | वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने तामली हेतु समय चाहा। न्यायहित में एक मौका समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 30/7/20 को पेश हो।<br><br>उप खण्ड अधिकारी<br>शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान | |
| 30/7/20 | पत्रावली आज पेश हुई प्रकरण में आवाज लगाई गई। वादी व उनका सत्यिपता कोई उप. नहीं है। अतः प्रकरण आज गैर हाजरी आज देखते में खारिज किया जाता है। पत्रावली कमाल कुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उप खण्ड अधिकारी<br>शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान | |